

## ::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्त् एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE

द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road



राजकोट / Raikot – 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

### रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

अपील / फाइलसंख्या/

मूल आदेश सं /

दिनांक/

Appeal /File No.

O.I.O. No.

Date:

V2/46 & 45/BVR/2019

37/AC/Rural/BVR/RR/2016-17

20/1/2017

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

# BHV-EXCUS-000-APP-033-TO-034-2020

आदेश का दिनांक/

15.06.2020

जारी करने की तारीख /

16.06.2020

Date of Order:

Date of issue:

श्री गोपी नाथ,आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शूल्क/ सेवाकर/वस्त् एवंसेवाकर, राजकोट । जामनगर । गांधीधाम द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: ।

Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST, Rajkot/Jamnagar/Gandhidham:

- अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-
  - 1. M/s. Shree Saibaba Inspat (India) Pvt Ltyd, Plot no. 135, Sosiya Ship Breaking Yard, Sosiya, Alang, Bhavnagar, Gujarat
  - 2. M/s. Shri Vijay Kumar Bansal, Authorized Person of M/s. Shree Saibaba Inspat (India) Pvt Ltyd, Plot no. 135, Sosiya Ship Breaking Yard, Sosiya, Alang, Bhavnagar, Gujarat

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

- सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/
  - Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-
- (i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा श्ल्क, केन्द्रीय उत्पादन श्ल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/
  - The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.
- उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए ।/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>™</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तृत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए । इनमें से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के काम से किया के सहायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार के काम से के का किया का स्वायक रजिस्टार की काम से काम से का किया का स्वायक रजिस्टार की काम से का किया का स्वायक रजिस्टार की काम से का किया का स्वायक रजिस्टार की का साम से का किया का स्वायक स्वायक स्वायक की स्वायक स्वयक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वायक स्वयक स्वायक स् दवारा किया जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित हैं। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of dutydemand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के अपालाय न्यायाधिकरण के समक्ष अपाल, वित अधिनयम,1994 की धीरा 86(1) के अतगत सर्वाकर नियमवाला, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमशः 1,000/-रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुक्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुक्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्क जमा करना होगा।/

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.

(i) वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आय्क्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आय्क्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दवारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त दवारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।/

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

(ii) सीमा श्ल्क, केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद श्ल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वितीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाएँ, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है

- धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)
- सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (ii)
- सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (स. 2) अधिनयम 2014 के आरभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगे।/
For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;

(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;

(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस् आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर (C) सचिव, भारत सँरकार, प्नरीक्षण आवेदन ईकाई, वित मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए।

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- पाद माल के किसी ज़ुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse यदि माल के किसी नकसान के मामले में, जहां नकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भुटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गईं है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि (iv) पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन श्ल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतिया संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.
- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ सलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-। के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का (E) ल्यायालय शुल्क टिकिट लेगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended.
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलीं को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / (F) Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.
- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं । / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in

# :: ORDER-IN-APPEAL ::

The present two appeals have been filed by the appellants (herein after referred to as "Appellant No. 1 & Appellant No. 2) as detailed in the Table below against Order-in-Original No. 37/AC/RURAL/BVR/RR/2016-17 dated 20.01.2017 (hereinafter referred to as 'the impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central Excise, Rural Division, Bhavnagar (hereinafter referred to as 'the adjudicating authority').

Sr. No.	Appeal No.	Appellant No.	Name of the Appellant
1	V2/46/BVR/2019	Appellant	M/s. Shree Saibaba Ispat (India) Pvt. Ltd., Plot No.
		No.1	135, Ship Breaking Yard, Sosiya, District: Bhavnagar.
2	V2/45/BVR/2019	Appellant	Shri Vijay Kumar Bansal, Authorized Person of M/s.
		No.2	Shree Saibaba Ispat (India) Pvt. Ltd., Plot No. 135,
			Ship Breaking Yard, Sosiya, District: Bhavnagar.

- 2. I find that the present appeals have been filed by the appellants on 24.06.2019 in respect of the impugned order issued on 20.01.2017. The appellants in Form EA-1 have mentioned the receipt of the impugned order by them on 11.04.2018 and 08.02.2017 respectively, which establishes that the appeals have been filed after 439 and 866 days respectively from the date of receipt of the impugned order by the appellants. Opportunities for personal hearing in the matter were given on 25.09.2019, 06.11.2019, 02.01.2020 and 16.01.2019 to explain their case but no one from the appellants side appeared.
- 3. In light of the above facts, I find that the appeals need to be decided on the limitation of time. I find that the impugned order has been received by the appellants on 02.02.2017, scanned images of acknowledgements are as under:



### **ACKNOWLEDGEMENT**

WE HEREBY ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE ORDER-IN-ORIGINAL NO. 37/AC/RUKAL/BVR/RR/2016-17 DATED 20.01.2017 PASSED BY THE ASSISTANT COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, RURAL DIVISION, BHAVNAGAR, ON BEHALF OF M/S. SHREE SAIBABA ISPAT (INDIA) PVT. LTD., PLOT NO. 135, SBY-SOSIYA, DIST. BHAVNAGAR ON TODAY I.E. 02.02.2017.

PLACE:

DATE:

DA

DEEP GIC
(Signature with date and Rubber Stamp)
Name: DIPAK MAGHELA
Authority: AUTHO

4







#### **ACKNOWLEDGEMENT**

WE HEREBY ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF THE ORDER-IN-ORIGINAL NO. 37/AC/RURAL/BVR/RR/2016-17 DATED 20.01.2017 PASSED BY THE ASSISTANT COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, RURAL DIVISION, BHAVNAGAR, ON BEHALF OF SHREE VIJAY KUMAR BANSAL, AUTHORIZED PERSON OF M/S. SHREE SAIBABA ISPAT (INDIA) PVT. LTD., PLOT NO. 135, SBY-SOSIYA, DIST. BHAVNAGAR ON TODAY I.E. 02.02.2017.

PLACE:

DATE:

Deepale (Signature with date and Rubber Stamp) Name: DIPAK VAGHECE Authority: \_

3.1 On going through the facts of the case, I find that the appeals have been filed beyond 90 days of the receipt of the impugned order and the appellants have explained delay on account of the impugned order was found unattended due to their unit closed down, which is not justified at all. The Commissioner (Appeals), as per proviso to Section 35(1) of the Central Excise Act, 1944 is vested with power to condone delay of maximum up to thirty days, over and above the normal period of sixty days, albeit on reasonable cause being shown. The present appeals are filed beyond stipulated time limit of 90 days provided under the statute. I find no reason to entertain such appeals beyond power given to me. Therefore, I am of the considered view that such appeals are liable to be dismissed on the ground of limitation alone. Accordingly, I reject the present appeals on the ground of limitation of time in filing appeal.

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील्स का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है। 4

The appeals filed by the appellant stand disposed off in above

(GOPI NATH)

Commissioner (Appeals)

By RPAD

To

٧.

M/s. Shree Saibaba Ispat (India) Pvt. Ltd., Plot No. 135, Ship Breaking Yard, Sosiya, District: Bhavnagar.

मैसर्स श्री साईबाबा इस्पात (इंडिया) प्रा. ली., प्लॉट नं. 135, शिप ब्रिकेंग यार्ड, सोसिया, जिल्लाः भावनगरः



Shri Vijay Kumar Bansal, Authorized Person of M/s. Shree Saibaba Ispat (India) Pvt. Ltd., Plot No. 135, Ship Breaking Yard, Sosiya, District: Bhavnagar. श्री विजय कुमार बंसल, ओथोराइझड पर्सन ऑफ मैसर्स श्री साईबाबा इस्पात (इंडिया) प्रा. ली., प्लॉट नं. 135, शिप ब्रिकंग यार्ड, सोसिया, जिल्ला: भावनगर.

# प्रति:

- (1) प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबादको जानकारी हेतु।
- (2) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, रुरल मंडल, भावनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (4) गार्ड फ़ाइल
- (5) F. No. V2/45/BVR/2019